



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1041]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 1041]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

का.आ.1598(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना / जोन-जे के लिए जोनल योजना में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3.11.2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 2995 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्तिसुझाव प्राप्त नहीं हुए; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, जोन-जे हेतु दिल्ली मुख्य योजना-2021/ जोनल योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021/ जोन-जे हेतु जोनल योजना के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन :

तुगलकाबाद में 400 के.वी. ग्रिड उप-स्टेशन स्थापित करने के लिए 2.51 हैक्टेयर वाले क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन "मनोरंजनात्मक उपयोग (क्षेत्रीय पार्क) से उपयोगिता (यू-3)" में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

स	अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो -2021 के अनुसार मौजूदा स्थिति	प्रस्तावित भूमि उपयोग	स्थल सीमाएं
	जोन-जे, दक्षिणी दिल्ली-II में तुगलकाबाद गांव की राजस्व संपदा में निर्धारित प्लॉट।	2.51 हैक्टेयर	'मनोरंजनात्मक' उपयोग (क्षेत्रीय पार्क)	उपयोगिता (यू-3) विद्युत (पॉवर हाऊस सब-स्टेशन)	उत्तर: आवासीय (एयरफोर्स क्वार्टर) दक्षिण: मनोरंजनात्मक (क्षेत्रीय पार्क) पूर्व:मनोरंजनात्मक

पश्चिम: आवासीय (एयरफोर्स
क्वार्टर)

[फा. सं. के-13011/17/2015-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2016

S.O. 1598(E).— whereas certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Plan for Zone-J regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2995 (E) dated 03.11.2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Plan for Zone-J.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Plan for Zone-J with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The change of land use for an area measuring 2.51 ha. from "Recreational Use" (Regional Park) to "Utility" (U-3) for setting up of 400 KV Grid Sub Station at Tughlakabad in Zone-J, South Delhi-II, as per description listed below:

S.No.	Location	Area	Existing as per Master Plan 2021	Proposed land use	Boundary of the site
1.	The plot earmarked at Revenue Estate of Village Tughlakabad in Zone-J South Delhi-II.	2.51 ha.	Recreation Use (Regional Park)	Utility (U-3) Electricity (Power House sub-station)	North: Residential (Air Force Qr.) South: Recreational (Regional Park) East: Recreational West: Residential (Air Force Qr.)

[F.No. K-13011/17/2015-DD-1]
SUNIL KUMAR, Under Secy.